CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2026-8.584

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

भारतीय स्कूलों में संविधान शिक्षा: छात्रों और शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

सुनीता सोनगरा
शोधार्थी
एकता पारीक
प्राचार्य, बियानी गर्ल्स बी.एड कॉलेज, जयपुर
Email - songarasunita2002@gmail.com, Mobile-

……………………………………………………………………
First draft received: 07.02.2026, Reviewed: 09.02.2026
Final proof received: 11.02.2026, Accepted: 15.02.2026

शोध सारांश

यह शोध पत्र भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में संविधान शिक्षा के प्रभाव और इसके कार्यान्वियन में आने वाली चुनौतियों का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लोकतान्त्रिक मूल्यों- समानता, स्वतंत्रता, और न्याय के संरक्षण हेतु छात्रों को जागरूक नागरिक बनाना अनिवार्य है। प्रस्तुत अध्ययन में गुणात्मक शोध पद्धति अपनाते हुए 50 छात्रों और 20 शिक्षकों के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण किया गया है। निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि यद्यपि पाठ्यक्रम में संविधान की उपस्थिति अनिवार्य है, किंतु व्यावहारिक शिक्षण (जैसे मॉक पार्लियामेंट) और आधुनिक डिजिटल संसाधनों की भारी कमी है। सर्वेक्षण के अनुसार, 30% छात्र अभी भी मौलिक अधिकारों की स्पष्ट समझ से वंचित हैं और 75% शिक्षक संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। यह पत्र शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु तकनीकी एकीकरण और शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण की सिफारिश करता है।

मुख्य शब्द : *संविधान शिक्षा, भारतीय संविधान, नागरिकता, लोकतांत्रिक मूल्य, छात्र दृष्टिकोण, शिक्षक दृष्टिकोण, शिक्षा सुधार।*

प्रस्तावना

भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, जो प्रत्येक नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा शासन प्रणाली की संरचना की स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। संविधान की शिक्षा नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व जैसे मूलभूत संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने का एक प्रभावी माध्यम है। विद्यालय स्तर पर संविधान की शिक्षा विद्यार्थियों को जागरूक, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संविधान शिक्षा का महत्व अन्य देशों की तरह भारत में भी अत्यधिक है। इसे नागरिकता शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाता है। कई अध्ययनों ने यह साबित किया है कि संविधान शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है, जिससे समाज में समरसता और न्याय की भावना विकसित होती है (जाह, 2014; शर्मा, 2018)। हालांकि, कुछ शोधों में यह भी देखा गया है कि संविधान शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि शिक्षण विधियों की पुरानी और अपर्याप्तता, संसाधनों की कमी, और व्यावहारिक शिक्षण की कमी। इस शोध पत्र का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान और सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है।

यह अध्ययन इस बात का विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि भारतीय स्कूलों में संविधान की शिक्षा किस प्रकार प्रस्तुत की जा रही है, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में इसका स्थान क्या है तथा इसका विद्यार्थियों और शिक्षकों की सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही, अध्ययन यह भी समझने का प्रयास करेगा कि संविधान शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में किन-किन समस्याओं, जैसे शिक्षकों की प्रशिक्षण कमी, पाठ्य सामग्री की सीमाएँ, व्यावहारिक गतिविधियों का अभाव और विद्यार्थियों की रुचि में कमी, का सामना करना पड़ रहा है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर हम सुधार के उपाय प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में संविधान की शिक्षा और प्रभावशाली हो सके और इससे नागरिकों का सामाजिक और नैतिक विकास हो सके।

शोध पद्धति

यह शोध एक **गुणात्मक दृष्टिकोण (Qualitative Approach)** पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारतीय विद्यालयों में संविधान शिक्षा की वास्तविक स्थिति, शिक्षण प्रक्रिया तथा इसके प्रभावों का गहन विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में कुल **50 छात्रों** और **20 शिक्षकों** से सर्वेक्षण (Survey Method) के माध्यम से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की गईं। सर्वेक्षण में **सरकारी तथा निजी विद्यालयों** के छात्रों और शिक्षकों को शामिल किया गया, ताकि दोनों प्रकार की शैक्षणिक व्यवस्थाओं में संविधान शिक्षा के स्तर, पद्धति और प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

डेटा संग्रहण के लिए प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण का उपयोग किया गया, जिसमें संविधान शिक्षा की समझ, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम की उपयोगिता, छात्रों की रुचि, तथा व्यावहारिक गतिविधियों की उपलब्धता जैसे प्रमुख बिंदुओं पर प्रश्न शामिल किए गए। प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके यह समझने का प्रयास किया गया कि संविधान की शिक्षा विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में कितनी प्रभावी है। साथ ही, यह भी देखा गया कि शिक्षकों द्वारा इसे पढ़ाने की पद्धति कैसी है और किन चुनौतियों के कारण इसकी प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

चित्र 1: डेटा संग्रहण एवं विश्लेषण प्रक्रिया।

परिणाम एवं चर्चा

संविधान शिक्षा के प्रभाव और इसकी वर्तमान स्थिति को समझने हेतु छात्रों एवं शिक्षकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष सामने आए हैं।

छात्रों की प्रतिक्रियाएँ

- **पहुंच और आकर्षण:** सभी 50 छात्रों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें कक्षा में संविधान के बारे में पढ़ाया गया है, जो यह दर्शाता है कि संविधान शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित है। हालांकि, केवल 70% छात्रों ने यह बताया कि उन्हें मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त हुई है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षण विधियों में और सुधार की आवश्यकता है, ताकि शेष 30% छात्रों को भी यह विषय समझ में आ सके।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ:** 88% छात्रों ने यह कहा कि संविधान की शिक्षा ने उन्हें समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने में मदद की है। हालांकि, 12% छात्रों ने यह माना कि वे इन मूल्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं।
- **व्यावहारिक गतिविधियाँ:** केवल 14% छात्रों ने बताया कि उनके विद्यालयों में मॉक पार्लियामेंट या समूह चर्चाएँ आयोजित की जाती हैं, जो यह दर्शाता है कि व्यावहारिक शिक्षण विधियों की कमी है।
- **तकनीकी संसाधनों का समावेश:** सभी छात्रों ने सुझाव दिया कि डिजिटल टूल्स और मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों का ध्यान और रुचि बनी रहे।
- **व्यक्तित्व में बदलाव:** सभी छात्रों ने यह स्वीकारा कि संविधान की शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, विशेष रूप से सामाजिक जिम्मेदारी और अधिकारों की समझ में सुधार हुआ है।

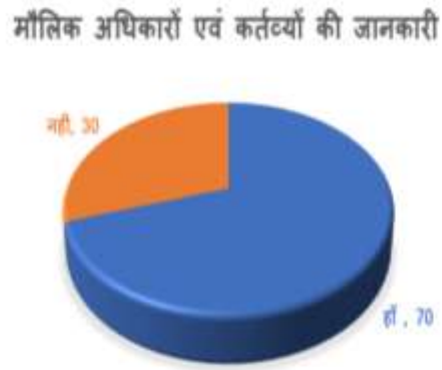

शिक्षकों की प्रतिक्रियाएँ

- **संविधान की महत्ता:** सभी शिक्षकों ने यह माना कि संविधान की शिक्षा पाठ्यक्रम का एक आवश्यक हिस्सा है। 85% शिक्षकों ने इसे "अत्यधिक महत्वपूर्ण" माना, जबकि 15% ने इसे "सामान्य रूप से महत्वपूर्ण" बताया।
- **शिक्षण विधियाँ और संसाधन:** 50% शिक्षकों ने "समूह चर्चा" को प्रभावशाली विधि माना, जबकि केवल 25% शिक्षकों को पर्याप्त शिक्षण संसाधन उपलब्ध हैं। अधिकांश शिक्षकों (75%) ने संसाधनों की कमी की शिकायत की,

जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा की प्रभावशीलता में संसाधनों का अत्यधिक महत्व है।

- **प्रभाव:** सभी शिक्षकों ने स्वीकार किया कि संविधान की शिक्षा विद्यार्थियों में नागरिक जिम्मेदारी, सामाजिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों का विकास करती है।
- **सुझाव:** शिक्षकों ने सुझाव दिया कि संविधान की शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे मॉक पार्लियामेंट, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ, और डिजिटल टूल्स का अधिक प्रयोग किया जाए।

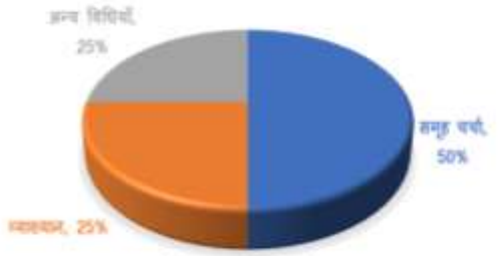

शिक्षण विधियाँ

निष्कर्ष और सुझाव

इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विद्यालयों में संविधान शिक्षा पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा रही है। अधिकांश छात्रों ने स्वीकार किया कि संविधान की शिक्षा से उन्हें समानता, न्याय, स्वतंत्रता तथा नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की समझ विकसित हुई है जा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी तथा नैतिक चेतना को सुदृढ़ करने में सहायक है। इसके साथ ही संविधान की शिक्षा की महत्ता सभी छात्रों और शिक्षकों द्वारा स्वीकार की जाती है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन में कई बाधाएँ हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुधार किए जाने चाहिए:

- **व्यावहारिक शिक्षण विधियाँ:** मॉक पार्लियामेंट, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ और समूह चर्चाओं जैसी गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए ताकि छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का वास्तविक अनुभव हो सके।
- **तकनीकी संसाधनों का उपयोग:** डिजिटल टूल्स और मल्टीमीडिया सामग्री का अधिक उपयोग किया जाए, जिससे छात्रों को विषय अधिक रोचक और सुलभ लगे।
- **शिक्षकों का प्रशिक्षण:** शिक्षकों को नियमित रूप से कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नवीनतम शिक्षण विधियों और संविधान के विषय में गहरी जानकारी दी जाए।
- **संसाधनों का सुधार:** स्कूलों में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके।
- **पाठ्य सामग्री में सुधार:** पाठ्य सामग्री को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखते हुए, इसमें वास्तविक जीवन के उदाहरण और नागरिक सहभागिता के मॉडल शामिल किए जाएँ।

सीमाएँ और भविष्य में अनुसंधान

इस अध्ययन में छात्रों और शिक्षकों का एक सीमित समूह शामिल किया गया है, और भविष्य में व्यापक और विविध समूहों पर अध्ययन किया जा सकता है। आगे की शोध में संविधान शिक्षा के विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को भी देखा जा सकता है।

संदर्भ

- *जाह, ए. (2014). भारत में संविधान शिक्षा: चुनौतियाँ और अवसर. भारतीय शिक्षा पत्रिका, 10(2), 55-67।*
- *शर्मा, आर. (2018). भारत में नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देना: एक समग्र दृष्टिकोण. शिक्षा समीक्षा, 22(3), 101-115।*